यह सम्बन्धित कर्मी के वास्तविक/क्रियाशील प्रोन्नति के समस्य नहीं होगा । चूँकि प्रोन्नति में आरक्षण से सम्बन्धित आदेश केवल नियमित प्रोन्नति पर ही लागू है, आरक्षण आदेश/रोस्टर एससीएसटी० पर लागू नहीं होगा एवं इसका लाभ सभी योग्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति कर्मियों को भी समान रूप से देय होगा, किन्तु नियमित/क्रियाशील प्रोन्नति के समय सम्वर्ग नियंत्री पदाधिकारी सभी आरक्षण नियमों का दृढ़ता पूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करेंगे ।

(V।) एससीएसटी० योजना के अन्तर्गत केवल नियमित सेवा की गणना की जायेगी । कार्यभारित, आकस्मिक, तदर्थ, संविदा, मौसमी, मास्टर रौल आदि के आधार पर नियुक्त कर्मियों को इस योजना का लाभ अनुमान्य नहीं होगा ।

(V॥) इस योजना का लाभ राजकीयकृत विद्यालय/अल्पसंख्यक विद्यालय के शिक्षकों/यूजीसी०/आईसीएआर०/एनसीईआरटी० आदि वेतनमान प्राप्त करने वाले शिक्षकों/पदाधिकारियों को देय नहीं होगा । इसके अतिरिक्त ऐसे कर्मी जिनके लिये अलग से किसी विशेष प्रोन्नति योजना का प्रावधान पूर्व से किया हुआ है, उन्हें भी इस योजना का लाभ देय नहीं होगा ।

(V।।।) राज्य सरकार से सहायता प्राप्त सभी स्वायतशासी संस्था (विश्व-विद्यालय/महा विद्यालय सहित), /राज्य सरकार द्वारा सृजित/अधिगृहित भारतीय कम्पनी अधिनियम अथवा किसी अन्य अधिनियम के तहत् गठित निगम/निकाय/पर्षद या सदृश संस्थानों में कार्यरत कर्मी इस योजना की परिधि में नहीं आयेंगे । ऐसी संस्थानों के द्वारा नियुक्त कर्मी का वेतनादि, सुविधायें सम्बन्धित संस्था के द्वारा उनके आय व्यय (बजट) के तहत् उपलब्ध कराया जाता है, सरकार इस सम्बन्ध में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, किन्तु ऐसी सुविधाओं की भरपाई के लिये सरकार द्वारा कोई विशेष सहायता/अनुदान नहीं दिया जायेगा और न सरकार किसी रूप में इसके लिये उत्तरदायी होगी । सरकार ऐसी संस्था को ऋण/अनुदान निश्चित उद्देश्य की पूर्त्ति के लिये निर्धारित मार्ग दर्शन के अनुसार देती है । सरकारी सहायता प्राप्त करने वाले बोर्ड/निगम/निकाय आदि अपने कर्मियों सुविधादेते समय इस बात को पूर्णरूपेण ध्यान में रखेंगे कि दी जाने वाली सुविधा, वेतन, किसी भी स्थिति में समान अवस्था वाले राज्यकर्मियों से अधिक नहीं हो अन्यथा सहायता की राशि में कटौती कर दी जायेगी ।

4. सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना लागू किये जाने के पश्चात् सम्वर्गीय रिक्त पदों पर प्रोन्नति की प्रक्रिया प्रभावित नहीं होगी । संगत नियम/निदेश के आलोक में विभागीय प्रोन्नति समिति सम्वर्ग में रिक्त नियमित पदों पर, प्रोन्नति देने की कार्रवाई आवश्यक छान-बीन के बाद पूरी करेगी ।

.....6.